REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2013/भाद्र 5, 1935
No. 432]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2013/BHADRA 5, 1935

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

सा.का.नि.576(अ). केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (झ), खंड (ञ), और खंड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में,-

(क) नियम 2 के उपनियम (1) में, -

1.

(I) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---

(ख) "ग्राहक सम्यक तत्परता" से अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (जक) में निर्दिष्ट ग्राहक पर कार्यान्वित सम्यक तत्परता अभिप्रेत है ;';

(II) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(खक) "अभिहित निदेशक" से अधिनियम के अध्याय 4 और नियमों के अधीन अधिरोपित समस्त बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अभिहित व्यक्ति अभिप्रेत है और इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है -

(i) प्रबंध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रुप से प्राधिकृत पूर्णकालिक निदेशक; यदि रिपोर्ट करने वाली कोई कंपनी है;

(ii) प्रबंध भागीदार यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व कोई भागीदारी फर्म है;

(iii) स्वत्वधारी, यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व कोई स्वत्वधारित समुत्थान है;

3723 GI/2013

(iv) प्रबंध न्यासी यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व कोई न्यास है ;

(v) यथास्थिति कोई व्यक्ति या व्यष्टि जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के कार्यों को नियंत्रित करता है या उनका प्रबंध करता है यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व कोई अनिगमित संगम या व्यष्टियों का निकाय है ; और

(vi) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए जो यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व उपरोक्त किसी प्रवर्ग में नहीं आता है ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए "प्रबंध निदेशक" और "पूर्णकालिक निदेशक" पदों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में दिया गया है ;';

(iii) खंड (ग) में "धारा 12 और धारा 13" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर "धारा 12, धारा 12क और धारा 14" शब्द, संख्या, अक्षर रखें जाएंगे;

(iv) खंड (घ) में "भारतीय रिर्जव बैंक या बैंककारी कंपनियों अथवा वित्तीय संस्था अथवा मध्यवर्ती द्वारा यथाअपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज" शब्दों के स्थान पर "विनियामक" शब्द रखा जाएगा;

(v) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"परंतु जहां ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए सरलीकृत उपाए लागू होते हैं वहां निम्नलिखित "दस्तावेजों शासकीय रुप से विधिमान्य दस्तावेज" समझे जाएंगे:

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार विभागों, कानूनी, विनियामक प्राधिकरणों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आवेदक के फोटो के साथ पहचान पत्र;

(ख) व्यक्ति की सम्यक रूप से अनुप्रमाणित फोटो के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र;

(vi) खंड (च) में "यथास्थिति किसी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती" शब्दों के स्थान पर "रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व" शब्द रखे जाएंगे ।

(vii) खंड (चक) में "यथास्थिति बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थाओं या मध्यवर्ती के स्थान पर "यथास्थिति रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व या निदेशक जो विनिर्दिष्ट रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके या रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का वर्ग या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

(viii) खंड (खक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (चकक) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

'(चकक) "नियम"' से धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 अभिप्रेत है ।

(ix) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: —

'(ज) "संव्यवहार"' से कोई क्रय, विक्रय उधार, गिरवी, दान, अंतरण, परिदान या उसका ठहराव अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(i) खाता का खोला जाना ;

(ii) जमा करना, निकालना, निधियों का विनिमय या अंतरण चाहे किसी भी मुद्रा में हो चाहे नकद या चैक द्वारा

हो, संदाय आदेश या अन्य लिखत या इलैक्टानिक या किसी अन्य अभौतिक साधनों द्वारा हो;

(iii) सुरक्षा जमा बॉक्स या किसी रुप में सुरक्षा जमा का उपयोग;

(iv) कोई वैश्वासिक संबंध बनाना

(v) किसी संविदात्मक या अन्य विधिक बाह्यता के पूर्णतः या भागतः किया गया या प्राप्त कोई संदाय

(vi) कैसिनो से सहबद्ध ऐसे क्रियाकलापो सहित नकद या वस्तु के लिए दैवक्रीणा खेलने की बाबत किया गया कोई संदाय;

(viii) विधिक व्यक्ति या विधिक ठहराव स्थापित करना या सृजित करना ।

(ख) नियम 3 में, -

 (I) "(1) प्रत्येक बैंककारी कंपनी" से आरंभ होने वाले "एक मास के भीतर की जाती है" से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, निम्नलिखित के अभिलेख सहित सभी संव्यवहारों के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा"; (अ) दस लाख रुपए या इसकी विदेशी करेंसी में इसके समतुल्य से अधिक मूल्य के सभी नकद संव्यवहार;

(आ) एक दूसरे से संपूर्ण जुड़े नकद संव्यवहारों की सभी श्रृखलाएं जिनका दस लाख रुपए या इसकी विदेशी करेंसी में इसके समतुल्य दस लाख रुपए से कम व्यष्टिक मूल्यांकन किया गया है, जहां ऐसे संव्यवहार की श्रृखला ने एक मास के भीतर अपना स्थान लिया है और मासिक सकल दस लाख रुपए या विदेशी करेंसी में इसके समतुल्य रकम से अधिक है ;

(II) खंड (घ) को पश्चात् निम्नलिखित खंड (ङ.) और खंड (च) अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ड) पांच लाख रुपए या विदेशी करेंसी के समतुल्य पांच लाख रुपए से अधिक मूल्य के सभी सीमापार नियंत्रित गुप्त रूप से जो अंतरित करते हैं, जहां यह भारत की निधि से उदभुत हो या इससे गंतव्य हो"

(च) पचास लाख रुपए से अधिक की मूल्य की स्थावर संपत्ति का किसी व्यक्ति द्वारा सभी क्रय और विक्रय जो कि रिपोर्ट करने वाली हस्ती द्वारा रजिस्ट्रीकृत है ;

(ग) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :--

"5 सूचना रखने की प्रक्रिया और रीति - (1) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा समय-समय पर प्रक्रिया और रीति जो विनियामक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सके के अनुसार नियम 3 में निर्दिष्ट अपने ग्राहकों के संव्यवहारों की बाबत सूचना रखेगा ।"

(2) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ऐसे रूप और रीति और ऐसे अंतरालों में विनियामक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली प्रक्रिया और रीति में ऐसी सूचना रखने के लिए आंतरिक तंत्र का सृजन करेगा ।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व अभिहित अधिकारी और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह उपनियम (1) के अधीन इसके विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली सूचना रखने की प्रक्रिया और रीति का पालन करें ।

(घ) नियम 6 का लोप किया जाएगा ;

(ङ) नियम 7, नियम 8, नियम 9 और नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

'7. सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और रीति - (1) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व निदेशक को अभिहित निदेशक और प्रधान अधिकारी के नाम पदनाम और पते को संसूचित करेगा ।

(2) प्रधान अधिकारी, नियम 3 के खंड (क), खंड (ख), खंड (खक), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ.) और खंड (च) में निर्दिष्ट सूचना रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर निदेशक को प्रस्तुत करेगा । ऐसी सूचना की एक प्रति शासकीय अभिलेख के प्रयोजनों के लिए प्रधान अधिकारी द्वारा प्रतिधारित की जाएगी ।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व नियम 3 के उपनियम (क) के खंड (खक) खंड (ग) खंड (घ) खंड (ङ.)में निर्दिष्ट संव्यवहारों, का पता लगाने के लिए और ऐसे रूप में जो इसके विनियामक द्वारा निदेशित किए जाएं मे ऐसे संव्यवहारों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विनियामक द्वारा कोई जारी मार्गदर्शक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आंतरिक तंत्र विकसित करेगा। (4) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व, इसके अभिहित निदेशक, अधिकारियों और कर्मचारियों का इसके विनियामक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और रीति का पालन करने का कर्तव्य होगा ।

8. निदेशक को सूचना प्रस्तुत करना -

(1) रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का प्रधान अधिकारी उत्तरवर्ती मास के पंद्रहवे दिन तक प्रत्येक मास, नियम 3 के खंड (क)ं, खंड (ख), खंड (खक), खंड (ग) और खंड (ड.) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत निदेशक को सूचना प्रस्तुत करेगा ।

(2) रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का प्रधान अधिकारी तुरंत लिखित या फैक्स द्वारा या इलैक्ट्रानिक मेल द्वारा निदेशक को यह समाधान हो जाने पर कि संव्यवहार संदेहजनक है, सात कार्य दिवस के उपरांत नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत सूचना प्रस्तुत करेगा ।

(3) रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का प्रधान अधिकारी, तिमाही के उत्तरवर्ती मास के पंद्रहवें दिन तक निदेशक को प्रत्येक तिमाही नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत सूचना प्रस्तुत करेगा ।

(4) इस नियम के प्रयोजन के लिए, इस नियम में यथाविनिर्दिष्ट समय-सीमा से परे किसी संव्यवहार के रिपोर्ट न किए जाने के प्रत्येक दिन का विलंब या किसी मिथ्या रिपोर्ट किए गए संव्यवहार का अनुसमर्थन करने में प्रत्येक दिन का विलंब पृथक अतिक्रमण गठित करेगा ।

9. ग्राहक सम्यक तत्परता -

(1) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व -

(क) किसी लेखा-आधारित संबंध आरंभ होने के समय

(i) अपने ग्राहकों की पहचान करेगा, उनकी पहचान स्थापित करेगा प्रयोजन पर और कारबार संबंध के आशयित स्वरुप

पर सूचना प्राप्त करेगा ।

(ii) यह अवधारित करेगा कि क्या ग्राहक को फायदाग्राही स्वामी के निमित्त कार्य कर रहा है और फायदाग्राही स्वामी की पहचान करेगा और फायदाग्राही स्वामी की पहचान सत्यापित करने के लिए सभी उपाय करेगा -

परंतु जहां विनियामक का यह विचार है कि धन-शोधन और आंतकवादी वित्तीय जोखिमों का प्रभावी रुप से प्रबंध किया जा रहा है और जहां कारबार को सामान्य संचालन में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं हैं वहां विनियामक, यथाशीघ्र संबंध की स्थापना में निम्नलिखित युक्तियुक्त व्यवहार, के सत्यापन को पूरा करने के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(ख) सभी अन्य मामलों में निम्नलिखित को कार्यान्वयन के समय सत्यापित करेगा -

(i) पचास हजार रुपए के बराबर या उससे अधिक की रकम का संव्यवहार, चाहे एकल संव्यवहार या अनेक संव्यवहार के रुप में संचालित किया गया है, जो सहयोजित होने के लिए प्रतीत होता है ; या

(ii) कोई अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण प्रचालन ।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन तृतीय पक्षकार का अवलंब ले सकेगा -

(क) रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व तृतीय पक्षकार द्वारा कार्यान्वित ऐसी ग्राहक सम्यक तत्परता की आवश्यक जानकारी शीघ्र अभिप्राप्त कर सकेगा ;

(ख) रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकेगा कि पहचान डाटा और ग्राहक सम्यक तत्परता से संबंधित सुसंगत प्रलेखन की प्रतियां बिना विलंब के अनुरोध करने पर तृतीय पक्षकार से उपलब्ध करा दी जाती हैं ;

(ग) रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का यह समाधान है कि ऐसे तृतीय पक्षकार को उसके लिए विनियमित पर्यवेक्षित और मानीटर किया गया है और अधिनियम को अधीन ग्राहक सम्यक तत्परता और अभिलेख अनुरक्षक अपेक्षाओं के अनुपालन में अपेक्षाओं और बाध्यताओं के आधार स्थान पर उपाए किए गए हैं ;

(घ) तृतीय पक्षकार देश या अधिकारिता पर आधारित नहीं है और अत्यंत जोखिम के रुप से उसका निधारण किया गया है ;

(ड.) ग्राहक सम्यक तत्परता के लिए और बढ़ी सम्यकतत्परता, जो लागू हो, के उपाय की वचनबद्धता के लिए अंततः उत्तरदायी है ; और

(च) जहां रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व तृतीय पक्षकार का अवलंब लेता है जो उसी वित्तीय समूह का भाग है वहां विनियामक (क)से (घ) में उल्लिखित शर्तों मे किसी की शिथिलता पर विचार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

(3) उपनियम (1)के प्रयोजन के लिए फायदाग्राही स्वामी को निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा, -

(क) जहां ग्राहक कोई व्यक्ति है वहां फायदाग्राही स्वामी प्रकृत व्यक्ति है जो चाहे अकेले या साथ में एक या इससे अधिक विधिक व्यक्ति के साथ कार्य कर रहा है, उसका नियंत्रण वाला स्वामिस्व हित है या जो अन्य साधनों के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग करता है ।

स्पष्टीकरण : इस उपखंड के प्रयोजन के लिए -

 "नियंत्रक स्वामित्व हित" से शेयरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक या कंपनी के पूंजी या लाभ में पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी अभिप्रेत है;

2. "नियंत्रण" में बहुसंख्यक निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार या नीति उनके शेयर धारण या प्रबंधन अधिकारों या शेयर धारको के करार या मतदान के करारों के आधार सहित प्रबंध या नीति विनिश्चयों का नियंत्रित करना सम्मलित है।

- (ख) जहां ग्राहक भागीदारी फर्म है, वहां फायदाग्राही स्वामी प्रकृत व्यक्ति है, जो चाहे अकेले या साथ में या एक या अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है, वहां उसके पास भागीदारी की पूंजी या लाभ का पंद्रह प्रतिशत से अधिक हकदारी है ;
- (ग) जहां ग्राहक अनिगमित संगम या व्यष्टियों का निकाय है, वहां फायदाग्राही व्यक्ति प्रकृत व्यक्ति है जो चाहे अकेले या साथ में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है, वहां उसके पास ऐसे संगम या व्यष्टियों के निकाय की संपत्ति या पुंजी या लाभ का पद्रंह प्रतिशत से अधिक स्वामित्व या हकदारी है ;
- (घ) जहां प्रकृत व्यक्ति की उपरोक्त (क), (ख) या (ग) के अधीन पहचान नहीं की गई है वहां फायदाग्राही स्वामी सुसंगत प्रकृत व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध पदधारी की प्रास्थिति धारण करता है ;
- (ड.) जहां ग्राहक कोई न्यास है वहां फायदाग्राही स्वामी की पहचान में न्यास के लेखक, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या अधिक के हित वाला फायदाग्राही और कोई अन्य प्रकृत व्यक्ति जो नियंत्रण या स्वामिस्व की श्रृखंला के माध्यम से न्यास पर अंततः प्रभाव नियंत्रण का प्रयोग करने वाला कोई अन्य प्रकृत व्यक्ति सम्मिलित होगा ; और
- (च) जहां नियंत्रण हित का ग्राहक या स्वामी स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कोई कंपनी या ऐसी कंपनी का समनुषगीं हैं वहां ऐसी कंपनियों के किसी शेयर धारक या फायदाग्राही स्वामी की पहचान करना और पहचान को सत्यापित करना आवश्यक नहीं है।

(4) जहां ग्राहक कोई व्यष्टि है वहां वह उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को अपनी पहचान, पते और फोटो तथा ग्राहक की कारबार कि प्रकृति और वित्तीय प्रास्थिति जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अपेक्षित हो, सहित से अंतर्विष्ट "शासकीय विधिमान्य दस्तावेज़" की एक प्रमाणित प्रति रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तूत करेगा :

परंत् उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन आने वाले ग्राहक द्वारा फोटो प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

(5) उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यष्टि जो बैंककारी कंपनी में लघु खाता खोले जाने की वांछा करता है, उसे खाता खोले जाने के लिए फार्म पर स्वप्रमाणित फोटो और यथास्थिति हस्ताक्षर के लगाने या अंगूठे निशान के प्रस्तुत करने पर ही ऐसा खाता खोले जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

परंत् --

 (i) बैंककारी कंपनी का अभिहित अधिकारी लघु खाता खोलते समय अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उसकी अनुपस्थिति में यथास्थिति अपने हस्ताक्षर किए हैं या अंगूठे का निशान लगाया है ।

(ii) लघु खाता केवल बैंककारी कंपनी की शाखाओं या उपशाखा जहां यह भौतिक रूप में मानीटर करना संभव है, से सहबद्ध कोर बैंकिंग सोल्यूशन में खोला जाएगा और सुनिश्चित करेगा कि विदेशी विप्रेषणादेश लघु खाता में न जमा हो और यह कि अनुबद्ध सीमा ऐसे खाता में मासिक और लघु सकल संव्यवहार और अतिशेष अनुज्ञात संव्यवहार से पहले भंग न हो ।

(iii) लघु खाता आंरंभिक रूप बारह मास की अवधि के लिए प्रचालन में रहेगा और तत्पश्चात् बारह मास की और अवधि के लिए प्रचालन में रहेगा यदि ऐसे खाते का धारक उक्त खाते के खोले जाने के बारह मास के भीतर शासकीय विधिमान्य दस्तावेजो के लिए आवेदित कंपनी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करता है चौबीस मास के पश्चात् उक्त खाते की बाबत शिथिल करने के सभी उपबंधों का पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

(iv) लघु खाते की मानीटरी की जाएगी और जब धन-शोधन या आंतकवाद का वित्तपोषण या अन्य जोखिम वाले परिदृश्य का संदेह हो तो नियम 9 के उप-नियम (4) में यथानिर्दिष्ट शासकीय निधि दस्तावेजों के पेश करने के माध्यम से ग्राहक की पहचान स्थापित की जाएगी ; और

(v) लघु खाते में विदेशी विप्रेषणादेश का जमा किया जाना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक नियम 9 के उप-नियम में यथानिर्दिष्ट शासकीय विधिमान्य दस्तावेजों के पेश किए जाने के माध्यम से ग्राहक की पहचान पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाती ।

(6) जहां ग्राहक कोई कंपनी है वहां उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तुत करेगा -

- (i) निगमन का प्रमाणपत्र ;
- (ii) संगम अनुच्छेद का ज्ञापन ;

(iii) निदेशक बोर्ड का संकल्प और इस निमित्त संव्यवहार करने के लिए अपने प्रबंधक अधिकारियों या कर्मचारियों को मंजूर किया गया मुख्तारनामा ;

(iv) इस निमित्त संव्यवहार करने के लिए अटर्नी धारण कर रहे प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारियों की बाबत शासकीय विधिमान्य दस्तावेज;

(7) जहां ग्राहक कोई भागीदारी फर्म है वहां यह उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तुत करेगा :--

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ii) भागीदारी विलेख ; और

(iii) इस निमत्ति संव्यवहार के लिए कोई अटर्नी धारण करने वाले व्यक्ति की बाबत शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ।

(8) जहां ग्राहक कोई न्यास है वहां यह उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रमाणिक प्रति रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तुत करेगा :

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ii) न्यास विलेख; और

 (iii) इस निमत्ति संव्यहार के लिए कोई अटर्नी धारण करने वाले व्यक्ति की बाबत शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ।
(9) जहां ग्राहक कोई अनिगमित संगम या व्यष्टियों का निकाय है वहां यह निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रमाणिक प्रति रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तुत करेगा :

(i) ऐसे संगम के प्रबंध निकाय या व्यष्टियों का संकल्प ;

(ii) इस निमित्त संव्यवहार करने के लिए उसे मंजूर किया गया मुख्तारनामा;

(iii) इस निमत्ति संव्यहार के लिए कोई अटर्नी धारण करने वाले व्यक्ति की बाबत शासकीय विधिमान्य दस्तावेज; और

(iv) ऐसी सूचना जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा ऐसे संगम या व्यष्टियों के निकाय के विधिक विद्यमान्यता सामूहिक रुप से स्थापित करने के लिए अपेक्षित हो ।

(10) जहां ग्राहक कोई विधिक व्यक्ति है. वहां रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व यह सत्यापित करेगा कि ऐसे ग्राहक के निमित्त कार्य करने के लिए तात्पर्यित व्यक्ति इस प्रकार प्राधिकृत है, उस व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करेगा ।

(11) कोई रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व किसी अनाम खाते या छदम नामों के खाते या किन्ही अन्य व्यक्तियों के निमित्त खाते जिनकी पहचान प्रकट नहीं की गई है या उसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है, को खोलना या रखना अनुज्ञात नहीं करेगा ।

(12) (i) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व प्रत्येक ग्राहक के कारबार के संबंध में वर्तमान सम्यक तत्परता का प्रयोग करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए वे, उसके कारबार और जोखिम पारिदृश्य से और जहां आवश्यक है, निधियों के स्रोत के संव्यवहार की गंभीरता से परीक्षा करेगा ।

(ii) जहां धन-शोधन या आतंकवाद से संबंधित क्रियाकलापों के वित्त पोषण के संदेह हैं या जहां पूर्व अभिप्राप्त पहचान डाटा की पर्याप्तता या सच्चाई के बारे में शंका है वहां रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ग्राहक की पहचान को पुनः सत्यापित करने और यथास्थिति उस प्रयोजन के लिए सूचना अभिप्राप्त करने और कारबार संबंध की आशयित प्रकृति के पुनः सत्यापन सहित सम्यक तत्परता के उपायों का पुनर्विलोकन करेगा ।

(iii) रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ग्राहक या विद्यमान ग्राहकों तात्विकता और जोखिम के आधार पर सम्यक तत्परता बरतेगा और जो नियमानुसार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए समुचित समयों पर ऐसी विद्यमान संबंध जो विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, यह ध्यान में रखते हुए तब और जब ग्राहक सम्यक तत्परता में उपाए पहले किए गए हैं और डाटा की पर्याण्तता प्राप्त की गई है।

(13) (i) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला आस्तित्व पहचान, निर्धारण करने के लिए जोखिम निर्धारण करेगा और ग्राहक देशों या भौगोलिक क्षेत्रों और उत्पादों सेवाओं, संव्यवहारों, चैनल परिदान जो किसी केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से अधिसूचित किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण से संगत है, के लिए इसमें धन-शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण जोखिम को कम करने के लिए उपाय करेगा ।

(ii) खंड (i) में उल्लखित जोखिम निर्धारण -

(क) प्रलेखीकरण किया जाएगा;

(ख) में, समस्त जोखिम के स्तर और समुचित स्तर और लागू होने वाली कमी के प्रकार अवधारण करने से पूर्व सभी सुसंगत जोखिम कारकों पर विचार होगा;

(ग) उस तारीख तक सुरक्षित रखा जाएगा; और

(घ) सक्षम प्राधिकारियों और स्वविनियामक निकायों को उपलब्ध होगा ।

14 (i) विनियामक, ऊपर उपनियम (1) से उपनियम (13) की अपेक्षाओं निगमित करते हुए मार्गदर्शक सिद्धांतों को जारी करेगा और ग्राहक के प्रकार, कारबार संबंध, प्रकृति तथा समस्त धन-शोधन और अंतर्वलित आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर आधारित संव्यवहारों को मूल्य पर विचार करते हुए ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने के लिए अधिक या सरलीकृत उपाय विहित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए सरलीकृत उपाए स्वीकार्य नहीं है जब कभी धन-शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह हो या जहां विनिर्दिष्ट अधिकतर जोखिम परिदृश्य लागू होते हैं या जहां पहचान किया गया जोखिम राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण से सुसंगत नहीं है ।

(ii) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व नियम 13 के उपनियम (1) के अपेक्षाओं और ऊपर खंड (i) के अधीन जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ग्राहक सम्यक तत्परता कार्यक्रम विरचित और कार्यान्वयन करेगा ।

(iii) ग्राहक सम्यक तत्परता कार्यक्रम में जोखिम जिसकी पहचान या तो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व या राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण के माध्यम से की गई है, का प्रबंध और कम करने के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को समर्थ बनाने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं होंगी ।

10. ग्राहकों की पहचान के अभिलेख का अनुरक्षण - (1) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व नियम 9 के अनुसार अभिप्राप्त इसके ग्राहकों की पहचान के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा ।

(2) ग्राहकों की पहचान के अभिलेख अनुरक्षण उस रीति में किया जाएगा जिसे समय-समय पर सके विनियामक विनिर्दिष्ट कर सकें।

(3) जहां रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व इसके विद्यमान ग्राहकों की पहचान के अभिलेख नहीं रखता है वहां यह विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अभिलेख अभिप्राप्त करेगा जिसके न हो सकने पर रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ग्राहक को सम्यक नोटिस देने के पश्चात खाते को बंद कर देगा ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए "ग्राहकों की पहचान के अभिलेख" में पहचान डाटा, लेखा फाइले और काखार पत्र व्यवहार के अद्यतन अभिलेख सम्मलित होंगे ।

(च) नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"10क. निदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करना - (1) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन तक प्रत्येक मास निदेशक को किए गए उपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) निदेशक, युक्तियुक्त कारण पर आधारित रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा की गई विनिर्दिष्ट रिपोर्ट पर प्रत्येक तीन मास के लिए ऊपर उपनियम (1) में अंतराल के समय को शिथिल कर सकेगा ।

10ख. लेखा परीक्षा के लिए व्यय - (1) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के व्यय और उसके आनुषंगिक (जिसमें लेखाकार, अर्हक सहायक, अर्धअर्हित और अन्य सहायक जो ऐसे लेखाकार द्वारा लिप्त किए जा सकेंगे, के पारिश्रमिक सम्मिलित है) व्यय का निदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के प्रत्येक घंटे के लिए आय-कर नियम, 1962 के नियम 14ख के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रकम के अनुसार संदाय किया जाएगा ।

(2) रिपोर्ट को पूरा होने के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि अपेक्षित घंटों की संख्या के निबंधनों में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(3) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट लेखाकार बिल के साथ समय फलक रखेगा और इसे निदेशक को प्रस्तुत करेगा ।

(4) निदेशक यह सुनिशचित करेगा कि बिल के प्रयोजन के लिए दावे किए गए घंटों की संख्या लेखाकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आकार और क्वालिटी के अनुरूप है।

7

[अधिसूचना सं0. 12/2013/ फा. सं. पी-12011/1/2013-एसओ (ईएस (सेल)] बिप्लब कुमार नसकर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 444 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात संख्या सा.का.नि. 717(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2005, सा.का.नि. सं. 389(अ) तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. सं. 816 (अ) तारीख 12 नवंबर, 2009. सा.का.नि. सं. 76 (अ) तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.नि. सं. 508(अ) तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 980 (अ) तारीख 16 दिसंबर, 2010 और सा.का.नि. सं. 481(अ) तारीख 24 जून, 2011 द्वारा संशोधित किये गए ।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2013

G.S.R. 576(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (i), (j) and (k) of subsection (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Moneylaundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005,
 - (a) in rule 2, in sub-rule (1),
 - (I) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely : —

(b) "client due diligence" means due diligence carried out on a client referred to in clause (ha) of sub-section (1) of section 2 of the Act;';

(II) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely : —

(ba) "Designated Director" means a person designated by the reporting entity to ensure overall compliance with the obligations imposed under chapter IV of the Act and the Rules and includes —

- (i) the Managing Director or a whole-time Director duly authorized by the Board of Directors if the reporting entity is a company,
- (ii) the managing partner if the reporting entity is a partnership firm,
- (iii) the proprietor if the reporting entity is a proprietorship concern,
- (iv) the managing trustee if the reporting entity is a trust,
- (v) a person or individual, as the case may be, who controls and manages the affairs of the reporting entity if the reporting entity is an unincorporated association or a body of individuals, and
- (vi) such other person or class of persons as may be notified by the Government if the reporting entity does not fall in any of the categories above.

Explanation. – For the purpose of this clause, the terms "Managing Director" and "Whole-time Director" shall have the meaning assigned to them in the Companies Act, 1956 (1 of 1956);';

(III) in clause (c), for the words and numbers "sections 12 and 13", the words, numbers and letter "sections 12, 12A and 13" shall be substituted;

(IV) in clause (d), for the words "Reserve Bank of India or any other document as may be required by the banking companies, or financial institution or intermediary", the word "Regulator" shall be substituted;

(V) after clause (d), the following proviso shall be inserted, namely : —

"Provided that where simplified measures are applied for verifying the identity of the clients the following documents shall be deemed to be 'officially valid documents:

- (a) identity card with applicant's Photograph issued by Central/State Government Departments, Statutory/Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, and Public Financial Institutions;
- (b) letter issued by a gazetted officer, with a duly attested photograph of the person;";
- (VI) in clause (f), for the words "banking company, financial institution or intermediary, as the case may be", the words "reporting entity" shall be substituted;

(VII) in clause (fa), for the words "banking companies, financial institutions or intermediaries, as the case may be", the words "reporting entities or the Director as may be notified by the Government for a specific reporting entity or a class of reporting entities or for a specific purpose" shall be substituted;

- (VIII) after clause (fa), the following clause (faa) shall be inserted, namely:-
- '(faa) "Rules" means the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005;';(IX) For the clause (h), the following shall be substituted, namely :
 - (h) "transaction" means a purchase, sale, loan, pledge, gift, transfer, delivery or the arrangement thereof and includes
 - (i) opening of an account;
 - deposits, withdrawal, exchange or transfer of funds in whatever currency, whether in cash or by cheque, payment order or other instruments or by electronic or other non-physical means;
 - (iii) the use of a safety deposit box or any other form of safe deposit;
 - (iv) entering into any fiduciary relationship;
 - (v) any payment made or received in whole or in part of any contractual or other legal obligation;
 - (vi) any payment made in respect of playing games of chance for cash or kind including such activities associated with casino; and
 - (vii) establishing or creating a legal person or legal arrangement.' —
- (b) in rule 3,
 - (I) for the portion beginning with "(1) Every banking Company" and ending with "taken place within a month", the following shall be substituted, namely : —
 - 'Every reporting entity shall maintain the record of all transactions including, the record of-
 - (A) all cash transactions of the value of more than ten lakh rupees or its equivalent in foreign currency;
 - (B) all series of cash transactions integrally connected to each other which have been individually valued below rupees ten lakh or its equivalent in foreign currency where such series of transactions have taken place within a month and the monthly aggregate exceeds an amount of ten lakh rupees or its equivalent in foreign currency;';
 - (II) after clause (D), the following clauses (E) and (F) shall be inserted, namely: ---
 - "(E) all cross border wire transfers of the value of more than five lakh rupees or its equivalent in foreign currency where either the origin or destination of fund is in India;
 - (F) all purchase and sale by any person of immovable property valued at fifty lakh rupees or more that is registered by the reporting entity, as the case may be.".
- (c) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :
 - "5. Procedure and manner of maintaining information. -(1) Every reporting entity shall maintain information in respect of transactions with its client referred to in rule 3 in accordance with the procedure and manner as may be specified by its regulator from time to time.
 - (2) Every reporting entity shall evolve an internal mechanism for maintaining such information in such form and manner and at such intervals as may be specified by its regulator from time to time.
 - (3) It shall be the duty of every reporting entity, its designated director, officers and employees to observe the procedure and the manner of maintaining information as specified by its regulator under sub-rule (1).".
- (d) rule 6 shall be omitted;
- (e) for rules 7, 8, 9, and 10, the following rules shall be substituted, namely:
 - ⁶7. Procedure and manner of furnishing information.– (1) Every reporting entity shall communicate to the Director the name, designation and address of the Designated Director and the Principal Officer.
 - (2) The Principal Officer shall furnish the information referred to in clauses (A), (B), (BA), (C), (D), (E) and (F) of sub-rule (1) of rule 3 to the Director on the basis of information available with the reporting entity. A copy of such information shall be retained by the Principal Officer for the purposes of official record.
 - (3) Every reporting entity shall evolve an internal mechanism having regard to any guidelines issued by regulator, for detecting the transactions referred to in clauses (A),(B),(BA),(C),(D), (E) and (F) of sub-rule (1) of rule 3 and for furnishing information about such transactions in such form as may be directed by its Regulator.
 - (4) It shall be the duty of every reporting entity, its designated director, officers and employees to observe the procedure and the manner of furnishing information as specified by its Regulator.

8. Furnishing of information to the Director. -

(1) The Principal Officer of a reporting entity shall furnish the information in respect of transactions referred to in clauses (A), (B), (BA), (C) and (E) of sub-rule (1) of rule 3 every month to the Director by the 15th day of the succeeding month.

(2) The Principal Officer of a reporting entity shall furnish the information promptly in writing or by fax or by electronic mail to the Director in respect of transactions referred to in clause (D) of sub-rule (1) of rule 3 not later than seven working days on being satisfied that the transaction is suspicious.

(3) The Principal Officer of a reporting entity shall furnish, the information in respect of transactions referred to in clause (F) of sub-rule (1) of rule 3, every quarter to the Director by the 15th day of the month succeeding the quarter.

(4) For the purpose of this rule, delay of each day in not reporting a transaction or delay of each day in rectifying a mis-reported transaction beyond the time limit as specified in this rule shall constitute a separate violation.

9. Client Due Diligence.-

(1) Every reporting entity shall-

(a) at the time of commencement of an account-based relationship -

- (i) identify its clients, verify their identity, obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship; and
- (ii) determine whether a client is acting on behalf of a beneficial owner, and identify the beneficial owner and take all steps to verify the identity of the beneficial owner:

Provided that where the Regulator is of the view that money laundering and terrorist financing risks are effectively managed and where this is essential not to interrupt the normal conduct of business, the Regulator may permit the reporting entity to complete the verification as soon as reasonably practicable following the establishment of the relationship; and

- (b) in all other cases, verify identity while carrying out-
 - (i) transaction of an amount equal to or exceeding rupees fifty thousand, whether conducted as a single transaction or several transactions that appear to be connected, or
 - (ii) any international money transfer operations.

(2) For the purpose of clause (a) of sub-rule (1), a reporting entity may rely on a third party subject to the conditions that-

- (a) the reporting entity immediately obtains necessary information of such client due diligence carried out by the third party;
- (b) the reporting entity takes adequate steps to satisfy itself that copies of identification data and other relevant documentation relating to the client due diligence requirements will be made available from the third party upon request without delay;
- (c) the reporting entity is satisfied that such third party is regulated, supervised or monitored for, and has measures in place for compliance with client due diligence and record-keeping requirements in line with the requirements and obligations under the Act;
- (d) the third party is not based in a country or jurisdiction assessed as high risk;
- (e) the reporting entity is ultimately responsible for client due diligence and undertaking enhanced due diligence measures, as applicable; and
- (f) where a reporting entity relies on a third party that is part of the same financial group, the Regulator may issue guidelines to consider any relaxation in the conditions (a) to (d).
- (3) The beneficial owner for the purpose of sub-rule (1) shall be determined as under
 - (a) where the client is a company, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

Explanation .- For the purpose of this sub-clause-

- 1. "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than twenty-five percent of shares or capital or profits of the company;
- "Control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;

- (b) where the client is a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of/entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership;
- (c) where the client is an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;
- (d) where no natural person is identified under (a) or (b) or (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official;
- (e) where the client is a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership; and
- (f) where the client or the owner of the controlling interest is a company listed on a stock exchange, or is a subsidiary of such a company, it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of such companies.

(4) Where the client is an individual, he shall for the purpose of sub-rule (1), submit to the reporting entity, one certified copy of an 'officially valid document' containing details of his identity and address, one recent photograph and such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the client as may be required by the reporting entity :

Provided that photograph need not be submitted by a client falling under clause (b) of sub-rule (1).

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), an individual who desires to open a small account in a banking company may be allowed to open such an account on production of a self-attested photograph and affixation of signature or thumb print, as the case may be, on the form for opening the account:

Provided that-

(i) the designated officer of the banking company, while opening the small account, certifies under his signature that the person opening the account has affixed his signature or thumb print, as the case may be, in his presence;

(ii) a small account shall be opened only at Core Banking Solution linked banking company branches or in a branch where it is possible to manually monitor and ensure that foreign remittances are not credited to a small account and that the stipulated limits on monthly and annual aggregate of transactions and balance in such accounts are not breached, before a transaction is allowed to take place;

(iii) a small account shall remain operational initially for a period of twelve months, and thereafter for a further period of twelve months if the holder of such an account provides evidence before the banking company of having applied for any of the officially valid documents within twelve months of the opening of the said account, with the entire relaxation provisions to be reviewed in respect of the said account after twenty four months;

(iv) a small account shall be monitored and when there is suspicion of money laundering or financing of terrorism or other high risk scenarios, the identity of client shall be established through the production of officially valid documents, as referred to in sub-rule (4) of rule 9; and

(v) foreign remittance shall not be allowed to be credited into a small account unless the identity of the client is fully established through the production of officially valid documents, as referred to in sub-rule (4) of rule 9.

(6) Where the client is a company, it shall for the purposes of sub-rule (1) submit to the reporting entity one certified copy of the following documents:-

- (i) Certificate of incorporation;
- (ii) Memorandum and Articles of Association;
- (iii) A resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; and

(iv) an officially valid document in respect of managers, officers or employees holding an attorney to transact on its behalf.

(7) Where the client is a partnership firm, it shall for the purposes of sub-rule (1) submit to the reporting entity one certified copy of the following documents:-

(i) registration certificate;

(ii) partnership deed; and

(iii) an officially valid document in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf.

(8) Where the client is a trust, it shall, for the purposes of sub-rule (1) submit to the reporting entity one certified copy of the following documents:-

- (i) registration certificate;
- (ii) trust deed; and

(iii) an officially valid document in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf.

(9) Where the client is an unincorporated association or a body of individuals, it shall submit to the reporting entity one certified copy of the following documents:-

(i) resolution of the managing body of such association or body of individuals;

(ii) power of attorney granted to him to transact on its behalf;

(iii) an officially valid document in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf; and

(iv) such information as may be required by the reporting entity to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals.

(10) Where the client is a juridical person, the reporting entity shall verify that any person purporting to act on behalf of such client is so authorized and verify the identity of that person.

(11) No reporting entity shall allow the opening of or keep any anonymous account or account in fictitious names or account on behalf of other persons whose identity has not been disclosed or cannot be verified.

(12) (i) Every reporting entity shall exercise ongoing due diligence with respect to the business relationship with every client and closely examine the transactions in order to ensure that they are consistent with their knowledge of the client, his business and risk profile and where necessary, the source of funds.

(ii) When there are suspicions of money laundering or financing of the activities relating to terrorism or where there are doubts about the adequacy or veracity of previously obtained client identification data, the reporting entity shall review the due diligence measures including verifying again the identity of the client and obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship, as the case may be.

(iii) The reporting entity shall apply client due diligence measures also to existing clients on the basis of materiality and risk, and conduct due diligence on such existing relationships at appropriate times or as may be specified by the regulator, taking into account whether and when client due diligence measures have previously been undertaken and the adequacy of data obtained.

(13) (i) Every reporting entity shall carry out risk assessment to identify, assess and take effective measures to mitigate its money laundering and terrorist financing risk for clients, countries or geographic areas, and products, services, transactions or delivery channels that is consistent with any national risk assessment conducted by a body or authority duly notified by the Central Government.

(ii) The risk assessment mentioned in clause (i) shall -

- (a) be documented;
- (b) consider all the relevant risk factors before determining the level of overall risk and the appropriate level and type of mitigation to be applied;
- (c) be kept up to date; and
- (d) be available to competent authorities and self-regulating bodies.

(14) (i) The regulator shall issue guidelines incorporating the requirements of sub-rules (1) to (13) above and may prescribe enhanced or simplified measures to verify the client's identity taking into consideration the type of client, business relationship, nature and value of transactions based on the overall money laundering and terrorist financing risks involved.

Explanation.- For the purpose of this clause, simplified measures are not acceptable whenever there is a suspicion of money laundering or terrorist financing, or where specific higher-risk scenarios apply or where the risk identified is not consistent with the national risk assessment.

(ii) Every reporting entity shall formulate and implement a Client Due Diligence Programme, incorporating the requirements of sub-rules (1) to (13) and guidelines issued under clause (i) above.

(iii) the Client Due Diligence Programme shall include policies, controls and procedures, approved by the senior management, to enable the reporting entity to manage and mitigate the risk that have been identified either by the reporting entity or through national risk assessment.

10. Maintenance of the records of the identity of clients.- (1) Every reporting entity shall maintain the records of the identity of its clients obtained in accordance with rule 9.

(2) The records of the identity of clients shall be maintained in a manner as may be specified by its regulators from time to time.

(3) Where the reporting entity does not have records of the identity of its existing clients, it shall obtain the records within the period specified by the regulator, failing which the reporting entity shall close the account of the clients after giving due notice to the client.

Explanation. - For the purpose of this rule, the expression "records of the identity of clients" shall include updated records of the identification data, account files and business correspondence.';

(f) After rule 10, the following rules shall be inserted, namely :

"10A. Furnishing of Report to Director.- (1) The persons referred to in clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Act shall furnish reports on the measures taken to the Director every month by the 10^{th} day of the succeeding month.

(2) The Director may relax the time interval in sub-rule (1) above to every three months on specific request made by the reporting entity based on reasonable cause.

10B. Expenses for audit.- (1) The expenses of, and incidental to, audit referred to in sub-section (1A) of section 13 of the Act (including the remuneration of the accountant, qualified assistants, semi-qualified and other assistants who may be engaged by such accountant) shall be paid in accordance with the amount specified in sub-rule (2) of rule 14B of the Income-tax Rules, 1962 for every hour of the period as specified by the Director.

(2) The period referred to in sub-rule (1) shall be specified in terms of the number of hours required for completing the report.

(3) The accountant referred to in sub-section (1A) of section 13 of the Act shall maintain a time sheet and submit it to the Director, along with the bill.

(4) The Director shall ensure that the number of hours claimed for billing purposes is commensurate with the size and quality of the report submitted by the accountant.

[Notification No. 12/2013/F.No.P.12011/1/2013-SO(ES(Cell)] BIPLAB KUMAR NASKAR,Under Secy.

Note :- The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717 (E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389 (E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816 (E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R.76 (E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508 (E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980 (E), dated the 16th December, 2010 and number G.S.R. 481 (E), dated the 24th June, 2011.